# राजपूत में विवाह और परिवार संबंधी मनोवृत्तिः संक्रमण के दौर में

डॉ0 नीना रंजन
+2 शिक्षिका
झुनझुनवाला आदर्श बालिका इंटरस्तरीय विद्यालय, भागलपुर
ई मेल– nranjanbgp@gmail.com
मोबाईल नं0– 9934702588

## Abstract

विवाह और परिवार मानव समाज की महत्वपूर्ण संस्था है जो स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। हिन्दु सामाजिक व्यवस्था में विवाह के तीन उद्देश्य हैं– धर्म, प्रजा और रति। आज के बदलते परिवेश में दोनों के परंपरागत रुप प्रभावित हो रहे हैं। परिवार एकाकी होता जा रहा है। विवाह की प्राचीन मान्यताएँ और पद्धतियाँ बदल रही हैं। विवाह के लिए न्यूनतम आयु, अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता तथा दहेज लेने और देने को अपराध बताने से संबंधित अधिनियमों ने लोगों की मनोवृत्ति को बदला है। परिवार एवं विवाह की मान्यताओं में अपेक्षित परिवर्त्तन हुए हैं जो हिन्दु समाज के राजपूत जाति में भी घटित हो रही है। राजपूत परिवार संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जिसका अध्ययन बिहार राज्य के भागलपुर प्रमण्डल के अंतर्गत बाँका जिला के राजपूत जाति द्वारा आवासित सबलपुर पंचायत में किया गया।

विवाह और परिवार मानव समाज की महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह न केवल परिवार जैसी व्यवस्था का आधार है, बल्कि संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को एक विशेष रुप देने में इसकी भूमिका होती है। विवाह एक संस्था भी है और संबंध भी। संस्था इस रुप में कि यह हमारे समाज या किसी भी समाज की वह बुनियाद है, जिस पर सामाजिक ढ़ांचा खड़ा होता है। यह एक संबंध है, जो स्त्री–पुरुष के बीच बनता है, दो परिवारों के बीच बनता है और दो पीढ़ीयों के बीच बनता है।[1] सभी प्रकार की भूमिकाओं के पीछे अभिप्रेरणा होती है। विवाह के पीछे क्या अभिप्रेरणा है। यह मान्यता है कि प्रारंभिक काल में व्यक्ति विवाह इसलिए करता था क्योंकि जीवन–यापन की समस्या उनके सामने थी। आर्थिक कारणों से मनुष्यों को बच्चों की आवश्यकता होती थी, जो न केवल उन्हें काम में मदद करें, बल्कि जब माता–पिता कार्य करने में अयोग्य हो जायें तो बच्चे बीमा के समान उनके काम आ सके। बोमेन के अनुसार, विवाह के मूलभूत उद्देश्य हैं : यौन–संतुष्टि, घर–परिवार की इच्छा, मित्रता,

सामाजिक स्थिति, सम्मान, आर्थिक सुरक्षा और संरक्षण।[2] बच्चों की परवरिश के दृष्टि से समाज विवाह को ठेका न मानकर एक 'संस्कार' एक स्थिर धार्मिक संबंध मानते हैं, ऐसा संबंध जो इस जन्म में तो टूट नहीं सकता। एक बार विवाह हो गया, सो हो गया। यह अटूट धार्मिक संबंध है।[3] वेस्टरमार्क ने कहा है कि विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसमें विवाह से संबंधित दोनों पक्षों और उनसे उत्पन्न होने वाले बच्चों के अधिकारों और कर्त्तव्यों का समावेश होता है।[4]

हिन्दु सामाजिक व्यवस्था में विवाह के तीन उद्देश्य है– धर्म, प्रजा और रति। यह माना जाता है कि मनुष्य संसार में तीन ऋणों से दबा हुआ है– ऋषि ऋण, देव ऋण तथा पितृ ऋण। हमारे प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान संपादन करके हम तक पहूँचाया, उन ऋषियों के प्रति हम ऋणी हैं। समाज के विद्वान लोग हमारे सामाजिक व्यवहार को बनाये रखते हैं, इसलिए हम देवों के ऋणी हैं। माता–पिता ने हमें जन्म दिया, इसलिए हम माता–पिता के ऋणी हैं, जो पितृ ऋण कहलाता है। पितृ ऋण चुकाना हमारा धार्मिक कर्त्तव्य है। जो विवाह रुपी धार्मिक संस्कार के पश्चात् ही पूरा हो सकता है।

दूसरी ओर परिवार प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में सबसे छोटी ईकाई है।[5] प्रजनन ईकाई के रुप में ऐसा समूह है जिसमें स्त्री–पुरुषों के यौन संबंधों की स्थापना व संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। आज इसकी संरचना और कार्यों में परिवर्त्तन का दौर चल रहा है। परिवर्त्तन अवश्यम्भावी है, जो हिन्दु समाज के राजपूतों में भी घटित हो रही है। इसलिए वर्त्तमान में उसका अध्ययन आवश्यक समझा गया।

राजपूतों में विवाह और परिवार के परम्परागत रुप में होने वाले परिवर्त्तनों को जानना तथा प्रभावित करने वाले घटकों का विश्लेषण करना एवं परंपरा और आधुनिकता की खोज करना इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य है।

इसके अध्ययन का क्षेत्र बाँका जिला के सबलपुर पंचायत के दो राजपूत बाहुल्य गाँव सबलपुर और चंडीडीह को रखा गया। समग्र की विशालता के कारण निदर्शन पद्धति का प्रयोग किया गया। जिसमें समग्र के प्रत्येक ईकाई को समान मानते हुए 250 ईकाईयों का चुनाव दैव निदर्शन के आधार पर किया गया और जो भी निष्कर्ष आये कमोवेश समस्त राजपूत जाति पर लागू होते हैं।

हमें उद्देश्य तक पहुँचाने में सही दिशा निर्देश एवं अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए विषय के विभिन्न पक्षों से संबंधित कुछ सामान्य अनुमान निर्धारित किये गए जिसमें विवाह के परम्परागत रुप में शिथिलता तथा समय के साथ लोगों की जीवनशैली और मनोवृति में परिवर्त्तन आदि प्रमुख है।

वर्त्तमान अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिए संचित साक्षात्कार विधि का चयन कर साक्षात्कार अनुसूचि का निर्माण किया गया, तथ्यों के विश्लेषण के लिए विभिन्न स्वतंत्र चरों को अलग–अलग कथनों से जोड़कर यह पता करने की कोशिश की गई कि विभिन्न उम्र, शिक्षा, आय तथा आय के स्त्रोत, वैवाहिक स्थिति, रहने के स्थान आदि से जुड़े उत्तरदाताओं के अलग–अलग मनोवृति वाले विभिन्न कथनों के प्रति क्या राय रखते हैं।

अधिकांश माता–पिता अपने पुत्र और पुत्रियों का विवाह वयस्क होने के बाद ही करना पसंद करते हैं। चेतन माता–पिता बच्चों की पढ़ाई पूरी होने और नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद ही उसे बंधन में बांधना चाहते हैं।

अध्ययन के क्रम में यह पाया गया कि उत्तरदाता अपने बच्चों का विवाह अपनी ही जाति में करना पसंद करते हैं। उनके परिवार में अंतर्धामिक विवाह के प्रचलन को प्राथमिकता नहीं दी गयी है। जाति से बाहर विवाह करना अभी भी कम है। विवाह के संबंध में उत्तरदाताओं की इच्छा आधुनिकता और उदारीकरण से प्रभावित होने के धरातल पर खरा नहीं उतर पाया है। आँकड़ों से पता चलता है कि कुछ उत्तरदाताओं के परिवार में जाति से बाहर विवाह किया गया है लेकिन उत्तरदाताओं ने अन्तर्धामिक विवाह का समर्थन कम ही किया है। इस प्रकार के उत्तरदाताओं में से अधिकांश के परिवार की प्रवृति शहरी थी वे पढ़–लिखे और उच्च वर्ग के सदस्य थे। अधिकांश उत्तरदाताओं ने बताया कि इस प्रकार के विवाह से उसके संतान की पहचान, अस्तित्व पर खतरा रहता है।

राजपूत परिवार में अन्य परिवार की भाँति जीवन साथी का चयन माता–पिता का उत्तरदायित्व होता था। पर कुछ परिवार मानवीय आधार पर जीवन साथी के चयन में बच्चों की सलाह लेना आवश्यक समझते थे। आज इसमें भी परिवर्त्तन आया है और बच्चे अपनी पसंद से विवाह कर माता–पिता की स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व में पति–पत्नी एक–दूसरे को विवाह के बाद पहली बार देखते थे, क्योंकि परम्परागत परिवार में लड़का या लड़का के परिवार वालों को विवाह पूर्व लड़की दिखाना वर्जित था। अब ये वर्जनाएँ पूरी तरह से खत्म हो गई है। हलांकि पूर्व की भांति आज भी रिश्ता तय करने में मध्यस्थों की परम्परा चली आ रही है।

कन्या चयन के परम्परागत सुन्दर, सुशील, संस्कारयुक्त गुणों के साथ कतिपय वैयक्तिक कारकों जैसे शिक्षा, नौकरी आदि का भी ख्याल रखा जाने लगा है। वर चयन में भी अब पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, कृषियोग्य भूमि आदि के अतिरिक्त वर की शिक्षा, योग्यता नौकरी आदि पर ज्यादा बल दिया जाता है।

विवाह से संबंधित आंकडों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि लड़की के विवाह की उचित उम्र के संबंध में पूछे जाने पर 42.27% ने 23 से 26 वर्ष के बीच बताया इनमें अधिकांश उत्तरदाता स्नातक थे। अंतर्जातीय विवाह के संबंध में पूछे जाने पर 54.09% ने अपनी ही जाति में विवाह को प्राथमिकता देने की बात बतायी। साथ ही 72.27% ने सगोत्र विवाह को गलत माना। ऐसे विचार रखने वालों में 78% उत्तरदाता मैट्रिक पास थे। 54.54% ने बताया कि विवाह के संदर्भ में वे कुण्डली का ख्याल रखते है। जिसमें अधिकांश उत्तरदाता अन्य व्यवसाय करने वाले थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के संबंध में पूछे जाने पर 59.09% अनुलोम विवाह के पक्ष में है।

अब बदलते हुए समय में माता–पिता और बच्चों का संबंध भी बदलता जा रहा है अब विवाह का निर्णय करने के पूर्व बच्चों से विमर्श करना उचित समझा जाने लगा है। इस संबंध में 48% इसे आवश्यक नहीं समझते हैं। जबकि 42% ने सलाह मानने की बात कही, वहीं 10% ने कहा समय आने पर देखा जाएगा। 40% उत्तरदाताओं ने यह बताया कि विवाह के पूर्व वे लड़का को लड़की दिखाना पसंद नहीं करते हैं। वर चुनने के क्रम आप किन बातों को प्राथमिकता देते हैं? के जवाब में संकुचित विचार रखले वाले उत्तरदाताओं में से 57.72% ने आर्थिक स्थिति को महत्व देने की बात कही, जबकि उदारवादी प्रकृति के उत्तरदाताओं में से अधिकांश ने कहा कि वे व्यक्तिगत सौन्दर्य को मान्यता देते हैं। लड़की के चयन के मामले में 40.45% ने कहा कि हम दहेज को ही महत्व देते हैं और 30. 45% ने सुन्दरता को महत्व देते की बात कही। राजपूत परिवार में आज अशिक्षित लड़की को 62. 27% लोग प्राथमिकता नहीं देते हैं। दामाद चयन के मामले में 62.27% ने नौकरी पेशा वाले को प्राथमिकता देने की बात कही। प्रेम विवाह के संबंध में उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करने पर 46. 81% ने बताया कि प्रेम विवाह की परंपरा अभी नहीं बढ़ी है। दहेज प्रथा के संबंध में उत्तरदाताओं में से 45.45% ने इसे समाप्त कर देने की बात कही। 18.18% ने कुछ परिवर्त्तन के साथ इसे लागू रखने की बात कही, जो इसे समाप्त करने के पक्ष में थे, उनमें अधिकांश की उम्र– 20–30 वर्ष की थी। बहुपत्नी विवाह के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर यह पता चला कि इनलोगों में बहुपत्नी विवाह का प्रचलन नहीं है और ऐसे उत्तरदाताओं की संख्या 59.18% थी। विधवा पुनर्विवाह की

अनुमति नहीं है, 50.45% ने बताया कम उम्र या बाल–विवाह के संबंध में 42.27% का मत था कि इसमें परिवर्तन आया है और 29.54% ने इसे सही नहीं कहा। 43.18% ने बताया कि विवाह में आज भी परम्परागत विधियों को प्राथमिकता दी जाती है। जबकि 40% ने इस बात से इंकार किया। विवाह पंजीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त होने के संबंध में 53.18% ने अपनी सहमति दी। विवाह संबंधी ये बातें जानने का प्रयास किये जाने के क्रम में 45% इस बात से सहमत थे कि विवाह पंजीकरण से बाल विवाह पर अंकुश लग सकेगा।

आज बदलते हुए समय में परिवार पर बहुत दबाव बढ़ गया है। संयुक्त परिवार की संकल्पना समाप्त हो रही है। इसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा गया कि क्या यह कहना सही है कि आज राजपूतों के बीच छोटे परिवार की अवधारणा के प्रति जागरुकता आयी है? 40% उत्तरदाताओं ने बताया कि राजपूत परिवार में छोटे परिवार के प्रति जागरुकता आयी है, 40% ने बताया कि नहीं आयी है और 20% ने अपनी अनभिज्ञता जताया।

यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या परिवार में औरतों का बढ़ता हुआ अधिकार पारिवारिक विघटन या संघर्ष का कारण है, इस प्रश्न के लिए अलग–अलग प्रवृति के परिवारों में रहने वाले उत्तरदाताओं से पूछा गया। इसके जवाब में 52% ने अपनी सहमति जतायी, 27% ने असहमति और 21% ने अनिर्णित रहे। सहमति जताने वालों में से उदारवादी उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी।

उच्च शिक्षा, सांस्कृतिक मिश्रण, आधुनिकता के कारण परिवार में बच्चो की थोड़ी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्राप्त हुआ है। अब बच्चे भी निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इसी क्रम में यह पूछे जाने पर कि क्या यह सही है कि आजकल माता–पिता बच्चों की सलाह के बिना उनके वैवाहिक संबंधों के प्रति निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं? के जवाब में 50% ने हाँ, 36% ने नहीं और 14% ने कोई जवाब नहीं दिया। यह पूछे जाने पर क्या यह सही है कि अधिकांश परिवारों में पढ़ी लिखी लड़की को ही पुत्र–वधु के रुप में स्वीकार किया जाने लगा है? इनके जवाब में 64 प्रतिशत ने हाँ और 46 प्रतिशत ने नहीं कहा। निर्णय लेने के मामले में परिवार के मुखिया का अधिकार घटता जा रहा है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य भी अब इस प्रक्रिया में भागीदारी करने लगे हैं। अध्ययन के आंकड़ों से पता चलता है कि स्कूल जाने के मामले में निर्णय अधिकांश माता–पिता ही लेते हैं और वैसा परिवार जहाँ निर्णय अन्य सदस्यों द्वारा लिया जाता है, वहाँ बच्चों के पिता से संपर्क किया जाता है। बेटा के पेशा के चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है अधिकांश परिवार में यह व्यक्तिगत नहीं था। पर आज इस मामले में

पिता या परिवार के मुखिया द्वारा निर्णय लिया जाता है और कहा गया कि समय आने पर अभिभावक से पूछ लेते हैं। अधिकांश निर्णय माता–पिता दोनों लेते हैं और कुछ परिवार में स्वयं निर्णय लिया जाता है। परिवार से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की गयी और सर्वप्रथम यह जानने का प्रयास किया गया कि परम्परा से स्त्री और पुरुषों के कार्यों में भिन्नता आ रही थी, क्या वह आज भी बरकरार है।

43.63 % ने इस बात को स्वीकार किया और फिर जब यह जानने का प्रयास किया गया कि आप की प्राथमिकता में किस प्रकार का परिवार होगा तो 51.36 % ने(एकाकी परिवार) व्यक्तिगत परिवार के संदर्भ में बताया।

46.36 % उत्तरदाताओं ने स्त्रियों की बदलती हुई स्थितियों के संबंध में सुधार की बात को स्वीकार किया। स्त्रियों की शिक्षा और नौकरी के कारण ऐसा संभव हुआ है ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या 50% थी। 65.90 % परिवार में परिवार के बड़े सदस्यों द्वारा बच्चों पर पूरा अधिकार जताया जाता है। आज बड़े और युवाओं के बीच विचारों में भिन्नता आती जा रही है, फिर भी 67.27 % ने माना कि दो पीढ़ियों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। 67.27 % ने बताया कि आज पति–पत्नी का संबंध आपसी सहयोग पर आधारित है।

पीढी का अंतराल या दो पीढ़ी के बीच सामंजस्य का अभाव या सास–बहू में परम्परागत संघर्ष या मनमुटाव आज भी है। 36:81% ने बताया कि सास और बहू में सामंजस्य है, जबकि 38:18 % ने इसे अस्वीकार किया। जिन्होंने सामंजस्य से इंकार किया, उनमें अधिकांश 46.87 % अधिक आयु के उत्तरदाता थे। 61.81 % महिलाएँ आज स्वतंत्ररुप से घर से बाहर आती–जाती है। अपने परपंरागत रुप को आज का समाज छोड़ रहा है, क्या आप भी इससे सहमत हैं? 58.63% इस पक्ष के हैं कि आज हमारी जाति आधुनिक होती जा रही है। यह मान्यता है कि बढ़ती शिक्षा बुर्जुगों की उपेक्षा का कारण है, इस संदर्भ में 65.90% ने इससे अपनी सहमति जतायी। 54.45% उत्तरदाताओं से पता चला कि परिवार के मामले में पुरुष का हस्तक्षेप कम हुआ है। परिवार का विचार व्यक्तिगत होता जा रहा है।

आज समाज में परिवर्त्तन की गति तेज है। लोगों के पास समय का अभाव है। लोग सभी क्षेत्रों में आधुनिक होते जा रहे हैं। विचार बदल रहे हैं, मनोवृत्तियाँ बदल रही है। इसी संबंध में पूछे जाने पर कि क्या आप इन बातों से सहमत हैं कि आज आपकी जाति अधिक आधुनिक होती जा रही है। 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस पर सहमति जताई, 23 प्रतिशत ने असहमति और 18 प्रतिशत अनिर्णित रहे।

आज परिवार परिवर्त्तन(संक्रमण) की दौर से गुजरता जा रहा है। पारिवारिक मूल्य बदलते जा रहे हैं, आदर्श बदल रहा है इस संबंध में यह पूछे जाने पर कि क्या आपका परिवार परिवर्त्तित हो रहा है? इसके जवाब में 60 प्रतिशत ने स्वीकारा कि उनके परिवार से परिवर्त्तन हो रहा है, 25 प्रतिशत ने इस बात से इंकार किया जबकि 15 प्रतिशत ने नहीं जानते हैं बताया। जिन्होंने परिवार में परिवर्त्तन की बात स्वीकार की। उनसे पुनः यह पूछा गया कि अगर परिवार में परिवर्त्तन हुआ है तो किसी क्षेत्र में? इसके जवाब में 29 प्रतिशत ने आर्थिक, 51 प्रतिशत ने वैचारिक 20 प्रतिशत ने घरेलू क्षेत्र में परिवर्त्तन बताया।

अंत में यह जानने का प्रयास किया गया कि आपके अनुसार आज पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्त्तन का महत्वपूर्ण कारण क्या है? 19 प्रतिशत ने आर्थिक, 44 प्रतिशत ने पश्चिमी शिक्षा, 16 प्रतिशत ने नगरीकरण तथा 10 प्रतिशत ने उदारवादी प्रवृति को पारिवारिक व्यवस्था में परिवर्त्तन का महत्वपूर्ण कारण बताया, जबकि 11 प्रतिशत अनिर्णित रहे।

सारांशतः आज राजपूत परिवार संक्रमण काल से गुजर रहा है। एक ऐसे स्तर से जहाँ सीमित परिवर्त्तन हो रहा है या वह स्तर जहाँ आधुनिकता और परंपरा का सहअस्तित्व है। न तो ये संस्थाएँ पूर्णतः अपने परंपरागत स्वरुप को छोड़ पायी है और न पूर्ण रुप से आधुनिक हो पायी है। इसका अपना ऐतिहासिक और आध्यात्मिक इतिहास रहने के साथ परंपरागत, संस्कृति के साथ धार्मिक संबंध रहने पर भी इनका आधुनिक संस्कृतियों से संबंध रहा है, जो बदलते हुए स्थितियों को दर्शाती है।

विगत कुछ दशकों से पश्चिमीकरण, औद्यौगिकीकरण, सुधार आन्दोलनों, आधुनिक शिक्षा, सामाजिक विधान और अन्य कारणों से यह जाति प्रभावित हुई है। आज भी विवाह संस्था में अनेक प्रकार के परिवर्त्तन होने पर भी उसमें अभी भी परंपरागत गुण मौजूद है।

सुझाव के रुप में यह कहा जा सकता है कि राजपूतों को अपने परिवार की संस्कृति का हस्तांतरण बच्चों में किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों को भी अपने परिवार के परंपरा का पालन करना चाहिए, ताकि परिवार की मर्यादा बनी रहे। परम्परा और परिवर्त्तन के साथ आधुनिकता के मध्य सामंजस्य द्वारा ही परिवार और विवाह जैसी संस्थाएँ राजपूतों को विकास की ओर उन्मुख रख सकती है।

## संदर्भ :–

1. कपाडिया, के0एम0 मैरेज एण्ड फैमिली इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूर्निवसिटी प्रेस, बम्बई 1966, पृष्ठ सं0– 220
2. मैरेज फॉर माईनर्स, मैक्ग्राहिल कंपनी न्यूर्याक, 1948, पृष्ठ सं0– 91–113
3. कपाडिया, के0एम0 –भारत में विवाह और परिवार, पोपुलर बुक डिपो, 1947 पृष्ठ सं0– 106
4. हिस्ट्री ऑफ हयूमन मैरेज, वोल्यूम– 1, पृष्ठ सं0– 26
5. मेकाइवर एण्ड पेज, सोसाइटी, पृष्ठ सं0– 143